न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली (राज.),

बईजलासः– राधेश्याम, आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या–82/2006 (पुराना सिलिंग कानून)

दायरा दिनांक–27.07.1981

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
राजस्थान सरकार		1. महेन्द्रसिंह वल्द लक्ष्मणसिंह, कौम राजपूत के वारिसान्
		1/1. प्रतापकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह,
		1/2. लोकेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह,
		1/3. गायत्रीसिंह पुत्री महेन्द्रसिंह,
		सभी जातिगण राजपूत, निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी, जिला पाली,

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्रसिंह लंबाना राजकिय अधिवक्ता उप.
श्री राजेन्द्र मेवाडा एवं दौलत मकवाणा गैरसायलान अधिवक्ता उप.

निर्णय

दिनांक 22/6/2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बाली ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.1975 मे गैरसायल की भूमि 225 बीघा मे से 10 स्टे. एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुऐ अधिग्रहण करने के आदेश दिए।

2. राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 22.05.1975 को राज्यहित के विपरित मानते हुए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश क्रमांक प. 7 (805) राज./सी./76 जयपुर दिनांक 21.07.1981 को उक्त सिलिंग प्रकरण को रि–ऑपन करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश पाली को रि–ऑपनिंग निर्णय के प्रकाश मे कथित पुराने सीलिंग के अन्तर्गत रि–ऑपनिग आदेश मे वर्णित सभी बिन्दओं पर विस्तृत जांच के उपरान्त, कानूनी प्रावधानो के अनुसार अपना निणर्य देने हेतू अधिकृत किया। उक्त आदेश के अनुसरण मे इस न्यायालय मे पुराने सिलिंग कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा गैरसायल को नोटिस

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

जारी किया गया। गैरसायल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल का देहान्त हो जाने से उसके कायममुकामात को रेकर्ड पर लिया गया तथा उन्हे नोटिस जारी किये गये।

3. गैरसायल की ओर से प्राथमिक आपति प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.06.2022 पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। इस आदेश द्वारा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपति प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

4. गैरसायल के कायममुकामात के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक आपति आवेदन पत्र मे निवेदन किया है कि गैरसायल के विरूद्ध पुराने सिलिंग कानून के तहत उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 8/70 मे दिनांक 22.05.1975 को आदेश पारित कर गैरसायल द्वारा धारित 225 बीघा भूमि मे से 10 स्टे. एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुऐ अधिग्रहण करने के आदेश दिए। राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 22.05.1975 को राज्यहित के विपरित मानते हुए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (जिसे आगे अधिनियम–1973 कहा गया है) की धारा–15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश क्रमांक प. 7 (805) राज./सी./76 जयपुर दिनांक 14.07.1981 द्वारा पुनः पुराने सिलिंग कानून के तहत प्रकरण को रि–ऑपन किया है। अधिनियम 1973 की धारा–15 (2) के परन्तुक के अनुसार मूल आदेश से 6 वर्ष अथवा दिनांक 30 जून 1979 तक की अवधि मे ही प्रकरण पुनः खोले जाने का आदेश दिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण मे राज्य सरकार द्वारा प्रकरण को पुनः खोले जाने का आदेश उक्त 6 वर्ष की समयावधि निकलने के बाद दिनांक 14.07.1981 दिया गया है अतः रि–ऑपनिंग आदेश दिनांक 14.07.1981 अधिनियम–1973 की धारा–15 (2) के परन्तुक के विपरित है। अधिवक्ता गैरसायलान ने इस संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त 2001 (2) आर. आर. टी. पेज 817, 1998 (1) आर. एल. डब्ल्यू पेज 364, 2001 डी. एन. जे. पेज 477, 1991 आर. आर. डी. पेज 14, 1999 आर. आर. डी. पेज 568, 2007 आर. आर. डी. पेज 425, 2001 आर.आर.डी. पेज 542, 2006–07 आर. आर. टी. (सप्लीमेंट) पेज 54, 2006 (2) आर. आर. टी. पेज 785 प्रस्तुत किये। अधिवक्ता गैरसायल द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2003 (1) डी. एन. जे. (एस. सी.) पेज 17 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब पुराने सिलिंग कानून मे कार्यवाही होकर गैरसायल द्वारा धारित 225 बीघा भूमि मे से 10 स्टे.

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

एकड भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तो धारा–15 (2) के तहत पुनः पुराना सिलिंग कानून के तहत प्रकरण को खोले जाने से लाभप्रद उद्देश्य प्राप्त नही होता है अतः गैरसायलान के विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाने का निवेदन किया।

5. सायल की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए गैरसायल का प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना–पत्र अत्यन्त देरीना पेश किया गया है। प्रकरण को दिनांक 14.07.1981 को रि–ऑपन किया गया है। इसलिए इतनी लम्बी अवधि के बाद मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रकरण को मेरीट पर निर्णित किया जावे और राज्य सरकार द्वारा धारा–15 (2) के परन्तुक के तहत दी गई परिसीमा के पश्चात भी प्रकरण को रि–ऑपन कर सकती है। इसमे किसी भी प्रकार की कानूनी रोक नही है।

6. हमने उभय पक्ष वकीलान की बहस सूनी। दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया मिसल पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण मे स्वीकृत स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट और निर्विवादित तथ्य है कि गैरसायल के विरूद्ध पुराने सिलिंग कानून के तहत कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय मे चली एवं प्रकरण संख्या 8/70 मे निर्णय दिनांक 22.05.1975 को आदेश पारित कर गैरसायल द्वारा धारित 225 बीघा भूमि मे से 10 स्टे. एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुऐ अधिग्रहण करने के आदेश दिए।

यह भी स्वीकृत स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट और निर्विवादित तथ्य है कि गैरसायल के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रकरण दिनांक 14.07.1981 को रि–ऑपन किया गया।

8. प्रकरण मे मुख्य दो कानूनी बिन्दु जिनको इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्धारित किया जाना है यह मात्र इतना है कि प्रथमः–नये राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15 (2) के परन्तुक के तहत रि–ऑपन की कार्यवाही नया सिलिंग कानून के लागू होने के 6 वर्ष बाद भी की जा सकती है या नही ? तथा द्वितीयः–जब पुराने सिलिंग

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कानून मे कार्यवाही होकर गैरसायल द्वारा धारित 225 बीघा भूमि मे से 10 स्टे. एकड भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तो धारा–15 (2) के तहत पुनः पुराना सिलिंग कानून के तहत प्रकरण को खोला जा सकता है या नही ?

9. जहां तक प्रथम बिन्दू का प्रश्न है कि क्या ऐसी रि–ऑपन की कार्यवाही नया सिलिंग कानून लागू होने की तिथी 01.01.1973 के 6 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी जा सकती है या नही ? तो इस बिन्दु पर न्यायिक दृष्टांत की स्थिति एकदम सुस्पष्ट है कि जो यह अभिनिर्धारित करती है कि नया सिलिंग कानून लागू होने की दिनांक 01.01.1973 के 6 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त अर्थात दिनांक 01.01.1979 के उपरान्त ऐसी रि–ऑपन का आदेश अवधिपार (परिसीमा से बाहर) और बिना अधिकारीता का आदेश होता है। उदाहरणार्थः–

–2006–07 आर. आर. टी. (सप्लीमेन्ट) पेज 54 गुमानशकंर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **"राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15 (2) दिनांक 03.04.80 को मामला पुनः खोला–परिसीमा–आदेश की वैधता– पूर्व मे मामला 25.07.1975 कासे निर्णित हुआ, मामले को पुनः खोलने की परिसीमा नये सिलिंग अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से 6 वर्ष है–परिसीमा के बाहर नोटिस जारी किये प्रत्यक्षतः कार्यवाही अवैध थी अब आर्लीच आदेश अपास्त किये।"**

–2006–07 आर. आर. टी. (सप्लीमेन्ट) पेज 81 हरीराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मे **"राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15 (2) मामले को पुनः खोलना–परिसीमा–6 वर्ष की समाप्ति के बाद धारा–15 (2) के अधिन सत्यो का अवलम्ब नही लिया जा सकता, निर्णित आदेश बिना अधिकारीता के है।**

–2006 (2) आर. आर. टी. पेज 785 किशनसिंह बनाम राजस्व मण्डल अजमेर मे **"राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15 (2) सीलिंग मामलो को पुनः खोलना–परिसीमा–पुराने अधिनियम के** अन्तर्गत मामला 17.04.1971 कासे निर्णित हुआ–नया अधिनियम प्रभाव मे 01.01.

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

1973 को आया और कार्यवाही 6 वर्ष के परे खोली–निर्णित, कार्यवाही परिसीमा से वर्जित थी तथा आदेश अवैध है व अपास्त किया।"

–2001 डी. एन. जे. (राज.) पेज 477 शान्तीलाल बनाम स्टेट ऑफ राज. मे "राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15–मामले को पुनः खोलना–मामला 6 वर्ष पश्चात् पुनः खोला–6 वर्ष की परिसीमा–शक्तियों का प्रयोग 6 वर्ष के बाहर किया–आदेश शून्य एवं बिना अधिकारीता के है एवं अभिखंडित किया।"

–1998 (1) आर. एल. डब्ल्यू (राज. उच्च न्यायालय) पेज 364 चन्दनसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे "राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15(1) के परन्तुक–सीलिंग के मामले का प्रथम निर्धारण 1975 मे हुआ मामले की पुनः नये सिरे से सुनवाई का नोटिस धारा–15(2) के अन्तर्गत सन् 1982 के वर्ष मे जारी हुआ–अधिनियम मे विहित परिसीमा अवधि के उपरांत मामलें के खोलने का नोटिस जारी हुआ है। रिट याचिका स्वीकार।"

10. जहां तक द्वितीय बिन्दू का प्रश्न है कि क्या पुराने सिलिंग कानून मे कार्यवाही होकर गैरसायल द्वारा धारित 225 बीघा भूमि मे से 10 स्टे. एकड भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तो धारा–15 (2) के तहत पुनः पुराना सिलिंग कानून के तहत प्रकरण को खोला जा सकता है या नही ? इस बिन्दू पर अधिवक्ता गैरसायल द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2003 (1) डी. एन. जे. (एस. सी.) पेज 17 के रूप मे एक ऐसा न्यायिक विनिश्चय उपलब्ध है जो इस बिन्दू पर स्पष्ट कानूनी नजीर उपलब्ध कराता है जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया कि Rajasthan (Imposition of Ceiling on Agricultural Holding) Act, 1973-Secs. 2, 4 (1) & 15 (2)- Rajasthan Tenanct Act, 1955- Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Re-determination of ceiling area-No surplus land found under 1955 Act, Held, Not permissible- Further, no useful purpose would be served by re-opening old proceedings. उपरोक्त नजीर से यह स्पष्ठ है कि पुराने सिलिंग कानून मे कार्यवाही होकर गैरसायल द्वारा धारित 225 बीघा भूमि मे से 10 स्टे. एकड भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तो धारा–15 (2) के तहत पुनः पुराना सिलिंग कानून के तहत प्रकरण को खोले जाने से लाभप्रद उद्देश्य प्राप्त नही होता है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

11. प्रस्तुत प्रकरण ओर उसकी आलोच्य विषयवस्तु के सन्दर्भ मे उपरोक्त न्यायिक नजीरों का सम्यक विवेचन एवं परीक्षण करने पर यह तथ्य स्पष्ट तौर पर उभर कर आता है कि अभिभाषक गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृटांत प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ मे भली भांती चस्ता होते है।

लिहाजा उपरोक्त विवचन से यह स्थापित होता है कि कानूनी नजीरों के तहत राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 लागू होने की तिथी से अभिनिर्धारित समय सीमा 6 वर्ष गुजर जाने के पश्चात् प्रकरण को रि–ऑपन किया जाना कानूनी एवं न्यायिक दृष्टांतो से उचित नही है। 1994 आर. आर. डी पेज 220 मे प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार दिनांक 30.06. 1979 से पूर्व नोटिस जारी किया जाना सायल द्वारा साबित नही कराया गया है जिससे अवधि निकलने के बाद प्रकरण खोले जाने का दिया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण मे उक्त दोनो ही कानूनी बिन्दओ की स्थिति गैरसायल के पक्ष मे समर्थन करती पाई गई है। अतएवं हक इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इस प्रकरण मे कानूनी बिन्दू पर उक्तानुसार स्थिति स्पष्ट होने हो जाने से प्रकरण का मेरीट के आधार पर तय किए जाने की कोई आवश्यकता विधिक रूप से नही रह जाती है। जहां प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय नही हो, वहां पर प्रकरण की मैरीट को देखा जाना न्यायोचित नही है।

अतः अभिभाषक गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08–06–2022 स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रकरण चलने योग्य नही पाया जाने से गैरसायल के विरूद्ध चल रही सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रकरण ड्रोप किया जाता है। इस निर्णय की प्रति तहरीर के साथ जिला कलक्टर, पाली एवं तहसीलदार देसूरी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 22/06/2022 ...को खुल न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)